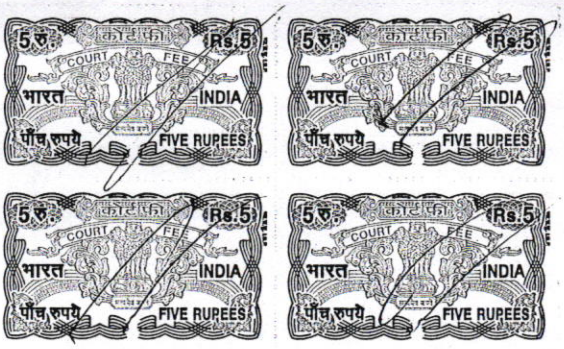

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक नि/3157/III/15 /2015 निगरानी

1– गंगाराम पिता श्री अमराजी बलाई,
निवासी–टोंकखूर्द जिला देवास (म.प्र.)

2– रईसा बी पति नग्गाजी नायता,
निवासी–टोंकखूर्द जिला देवास (म.प्र.)

–––आवेदकगण

विरूद्ध

सिद्धनाथ पिता श्री अमराजी बलाई,
निवासी–टोंकखूर्द जिला देवास (म.प्र.)

–––अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 18–08–2015 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत हैं :–

निगरानी के आधार

01. यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होकर निरस्तकरणीय है।

02. यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण तहसील रिकार्ड की प्राप्ति के लिये था। रिकार्ड प्राप्त ही नहीं हुआ था। आवेदकगण की ओर से एक आवेदन पत्र इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था, किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र विचार ही नहीं किया गया तथा प्रकरण में आदेश प्रदान करते हुए आवेदकगण को न्याय से वंचित करने में वैधानिक त्रुटि की है।

03. यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के अवलोकन ही नहीं किया गया। नामान्तरण के प्रकरण में धारा 131 भू.रा.सं. के प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख किया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश आर्बीट्ररी होकर निरस्तकरणीय है।

निरंतर.........2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3157–तीन/2015 जिला देवास

गंगाराम विरूद्ध सिद्धनाथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–1–2016	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक ने यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 21/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 18–8–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि अपर आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित नामांतरण को चुनौती दी गई थी परन्तु अपरआयुक्त ने अपने आदेश द्वितीय पृष्ठ के द्वितीय पैरा में प्रकरण से हटकर रास्ते के विवाद का हवाला अंकित कर दिया है जिसमें पक्षकार के नाम, सर्वे कमांक एवं मजमून अलग है तथा इस प्रकरण से उक्त पैरा का कोई ताल्लुक नहीं है। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये। 2/ आवेदक अभिभाषक के तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने किसी अन्य प्रकरण की विषय वस्तु को इस प्रकरण में सम्मिलित कर दिया है। आपर आयुक्त की यह त्रुटि प्रथमदृष्टया ही असंगत प्रकट होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यदि आदेश पारित करते समय किसी प्रकरण की विषय वस्तु में ही त्रुटि कर दी जाये तो प्रकरण के	

गुण–दोष को उचित नहीं कहा जा सकता है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 18–8–15 निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त को यह प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को पुनः सुनवाई का अवसर देने के उपरांत अपील में उठाये वैधानिक बिन्दुओं पर ही गुण–दोषों पर आदेश पारित करें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य